दिल्लो विधान सभा सचिवालय

समाचार भाग-2

§ विधायो तथा अन्य मामलो से संबिधत सामान्य जानकारो § बुधवार 20 सितम्बर,2000/ भाद्रपद 29, 1922 §शक §

संख्या: 106

1 3

सदस्य की नजरबंदो एवं रिहाई

माननोय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को संबोधित थाना पंजाबी बाग, दिल्ली पश्चिमी जिला पुलिस कंटोल रूम का निम्न लिखित संदेश प्राप्त हुआ:-

"दिल्ली विधान सभा के माननोय सदस्य श्रो मालाराम गंगवाल को दिनाक 19.9.2000 को समय 1325 बजे दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा 65 के अन्तंगत पुलिस के विधि सम्बत निर्देशों को अवज्ञा करने के कारण थाना पंजाबों बाग द्वारा नज़रबन्द किया गया।

उन्हें वहीं से उसी दिन अथाँत 19.9.2000 को समय 1705 बजे रिहा कर दिया गया ।"

> एस•के•शर्मा सचिव

DEIHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

BULLETIN PART-II

(GENERAL INFORMATION RELATING TO LEGISLATIVE & OTHER MATTERS)

Wednesday the 20th September 2000/Bhadrapada 29,1922(Saka

No.106

DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi was received from the SHO, Police Station, Punjabi Bagh, New Delhi/West District Police Control Room:-

"Shri Mala Ram Gangwal, MLA, was detained by the Police Under Section 65 of the D.P.Act at police Station, Punjabi Bagh at 13.25 Hrs. on 19.9.2000 for dis-obeying the lawful directions of the police.

He was released at 17.05 Hrs. from the same place and on the same day i.e. 19.9.2000.

S.K. SHARMA SECRETARY